

राजस्व
राजस्व अखिल कृमांक
पुस्तुत दिनांक 18.1.2017

माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर, केम्प इन्दौर

दिनांक- 9025-882-1

— अखिलकर्ता पुनरीक्षणकर्ता

भगवान व अन्य

विरुद्ध

चतुर बाई व अन्य

— रेषाईट

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35(3) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

सदर पुकरण मे पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से निवेदन है कि-

1. यह कि सदर रिविजन याचिका माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 17/1/2017 को अदम पैरवी मे निरस्त कर दी गई हैं।

2. यह कि, विगत पेशी दिनांक 15/11/2016 को पुनरीक्षणकर्ता के अभिभाषक श्री अजय कानूनगो की बुआजी का निधन हो जाने से वह पुकरण मे उपस्थित नह हुए तथा उनके निर्देश पर अन्य अधिवक्ता पुकरण मे उपस्थित हुए थे जिनके द्वारा नजरचुक व मानवीय ट्रुटि के चलते गलत पेशी तारीख दिनांक 18/1/17 को पुनरीक्षणकर्तागण व अभिभाषक को बताई गई थी जिस कारण से पुकरण मे आज उपस्थित होने पर पुकरण देखने पर ज्ञात हुआ कि पुकरण मे अनुपस्थिति दर्ज कर पुकरण खारिज किया गया हैं।

3. यह कि अनुपस्थिति का योग्य व उचित कारण होकर न्यायापीठ मे सदभावना पूर्वक होकर क्षम्य हैं।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि सदर पुनरीक्षण याचिका को पुनः उसी स्तर पर रिकार्ड पर लिया जाने बाबद आदेश व निर्देश मुदान करने की कृपाकरे। यही विनय हैं।

इन्दौर दिनांक 18.1.2017

पुस्तुतकर्ता

पुनरीक्षणकर्तागण तर्फ अभिभाषक



18.7.2018

म. 9025-PBR/T (धाल)

Handwritten signature

आवेदक से ओर से श्री अजय
 कानूनगो, अभिभाषक एवं अनावेदक की
 ओर से श्री वेंकटरा पाटीदार, अभिभाषक
 अपेक्षित पुनर्स्थापन आवेदन पत्र पर
 उभय पक्ष को सुना गया। पुनर्स्थापन
 आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता
 है। इस प्रकरण कुर्कोट निकासी 368-
 PBR/16 सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पत्र
 लिखा जाएगा पुनर्स्थापन प्रकटन 3वीं
 स्तर पर समाप्त किया जाता है।

Handwritten signature
 अभिभाषक

Handwritten signature

Handwritten signature
अध्यक्ष